|  |  |
| --- | --- |
| English | Hindi |
| **Summary of key changes to restrictions** | **प्रतिबंधों में प्रमुख परिवर्तनों का सारांश** |
| In line with **Stage 3, Step 3.1** of [Canberra's Recovery Plan](https://www.covid19.act.gov.au/community/canberra-recovery), minor and cautious changes are being made to the current COVID-19 restrictions in the ACT for some sectors that have been closed since March. Subject to a successful public health risk assessment (check point) on Thursday 6 August, the following changes will apply from **9am on Monday 10 August 2020**. | ACT में मार्च से बंद किए गए कुछ क्षेत्रों के लिए [कैनबरा की पुनःआरंभ योजना](https://www.covid19.act.gov.au/community/canberra-recovery) के **चरण 3, उपचरण 3.1** के अनुरूप वर्तमान COVID-19 से संबंधित प्रतिबंधों में मामूली और सावधानीपूर्वक परिवर्तन किए जा रहे हैं। गुरुवार 6 अगस्त को जनस्वास्थ्य खतरा आकलन (चेक प्वाइंट) की सफलता के अधीन **सोमवार 10 अगस्त 2020 को सुबह 9बजे** से निम्नलिखित परिवर्तन लागू होंगे। |
| **The following can open:** | **निम्नलिखित स्थान खोले जा सकते हैं:** |
| * Food courts (dine-in)
* Casinos and gaming in clubs
* Steam-based services including saunas, steam rooms, steam cabinets and bathhouses
* Strip clubs, brothels, escort agencies.
 | * फूड कोर्ट (बैठकर भोजन करना)
* कैसिनों और क्लबों में गेमिंग
* वाष्प-आधारित सेवाएँ, जिनमें सौना, स्टीम रूम, स्टीम कैबिनेट और बाथहाउस शामिल हैं
* स्ट्रिप क्लब, वैश्यालय, एस्कॉर्ट एजेंसियाँ।
 |
| **In addition, the following will apply:** | **इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भी लागू होंगे:** |
| * Community sport activities can have a maximum of 100 spectators for each indoor and each outdoor space, where the one person per 4 square metre rule can be observed. This excludes staff and participants.
* Bar, pubs and clubs are able to continue to serve alcohol to seated patrons, with no limit on the size of group bookings.
* When gyms, health clubs and fitness facilities are unstaffed, a maximum of 25 patrons are permitted to be in the venue at any one time.
 | * + सामुदायिक खेल आयोजनों में यदि प्रत्येक 4 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में एक व्यक्ति के नियम का अनुपालन किया जा सकता है, तो प्रत्येक इनडोर और प्रत्येक आउटडोर स्थल में अधिकतम 100 दर्शक उपस्थित हो सकते हैं। इसमें कर्मी और प्रतिभागी शामिल नहीं हैं।
	+ बार, पब और क्लबों में बैठे हुए सेवार्थियों को एल्कोहल परोसा जा सकता है, और सामूहिक बुकिंग में अधिकतम लोगों की सँख्या पर कोई सीमा नहीं है।
	+ यदि जिम, स्वास्थ्य क्लब और फिटनेस सुविधाओं में कर्मी उपस्थित न हों, तो एक समय में अधिकतम 25 सेवार्थियों को स्थल पर उपस्थित रहने की अनुमति है।
 |
| * All venues, facilities and businesses must clearly display occupancy allowance at entrance to each venue or space.
* Venues, facilities and businesses which can now reopen must develop and follow a [COVID Safety Plan](https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1554199/CV_Safety-Plan-Guidelines_2.2_Final-19062020.pdf).
 | * सभी स्थलों, सुविधाओं और व्यवसायों को प्रत्येक स्थल या स्थान के प्रवेशद्वार पर उपस्थित लोगों की अधिकतम अनुमत सँख्या को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए।
* खोले गए स्थलों, सुविधाओं और व्यवसायों को [COVID सुरक्षा योजना](https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1554199/CV_Safety-Plan-Guidelines_2.2_Final-19062020.pdf) का विकास और अनुपालन करना चाहिए।
 |
| **What stays the same** | **किन गतिविधियों में परिवर्तन नहीं हुआ है**  |
| All requirements under **Step 2.2** remain in place, in particular: | **उपचरण 2.2** के तहत सभी आवश्यकताएँ अभी भी लागू हैं, विशेषकर: |
| * No limit on household visits.
* The limit on the number of people allowed at outdoor gatherings remains at 100 people.
* The current arrangements of one person per 4 square metres of usable space rule applies, up to 100 people in each indoor and each outdoor space. This excludes any staff on premises.
 | * घर पर मिलने के लिए आने वाले लोगों की सँख्या पर कोई सीमा नहीं।
* आउटडोर जनसमूहों में लोगों की अनुमत सँख्या अभी भी अधिकतम 100 है।
* उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक 4 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में एक व्यक्ति और प्रत्येक इनडोर एवं प्रत्येक आउटडोर स्थल में अधिकतम 100 लोगों की वर्तमान व्यवस्था का नियम अभी भी लागू है। इसमें परिसर में उपस्थित कर्मी शामिल नहीं हैं।
 |
| **We all need to continue to be responsible** | **हम सभी को जिम्मेदारी बनाए रखने की आवश्यकता है** |
| The requirements under the Public Health Directions are not just the responsibility of businesses - they extend to all Canberrans. | जनस्वास्थ्य दिशा-निर्देशों [Public Health Directions] के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन करना केवल व्यवसायों की ही जिम्मेदारी नहीं है - ये आवश्यकताएँ सभी Canberrans के लिए भी लागू होती हैं। |

|  |  |
| --- | --- |
| We must all be sensible when having people in our homes and put in place our own control measures. This includes knowing who is there and at what times, and downloading the COVIDSafe app. | जब दूसरे लोग हमारे घर पर आएँ, तो हम सभी को समझदारी से काम लेना चाहिए और स्वयं अपने नियंत्रण उपाय बनाकर रखने चाहिए। इसमें इस बात से अवगत होना कि वहाँ कौन आया है और वह किस समय उपस्थित रहा है, तथा COVIDSafe ऐप डाउनलोड करना भी शामिल है। |
| Importantly, we must maintain our best lines of defence against the disease by physically distancing, practising good hand and respiratory hygiene, staying home if unwell and getting tested if you have symptoms. | महत्वपूर्ण रूप से हमें शारीरिक दूरी बनाए रख करके, अच्छी हस्त और श्वसन स्वच्छता का पालन करके, अस्वस्थ होने पर घर में ही रह करके और लक्षणों के पैदा होने पर अपनी जाँच करवा के रोग से बचाव की अपनी सर्वोत्तम सुरक्षा-पंक्तियों को बनाए रखना चाहिए। |
| These principles have not changed and are the best way to keep our community safe and to prevent the spread of COVID-19. | इन सिद्धाँतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने एवं COVID-19 के फैलाव की रोकथाम करने के लिए ये सबसे अच्छे तरीके हैं। |